भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5294
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

अमृतसर को विशेष अनुदान

5294. श्री गुरजीत सिंह औजला:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अमृतसर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में कृषि और कृषि उत्पादों की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु विशेष अनुदान अथवा प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सहायता सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में किसानों और उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष पैकेज अथवा योजनाएं शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस सीमावर्ती क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन में सुधार करने और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने हेतु इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या ऐसी पहलों से क्षेत्र के विकास और कृषि समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की अनुषंगी इकाइयों को सहायक इकाइयों के रूप में स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ङ): अपने समृद्ध कृषि और कृषि उपज आधार को ध्यान में रखते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से पंजाब के अमृतसर जिले में संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है। ये योजनाएँ क्षेत्र विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं और पूरे देश में लागू की जाती हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है। अभी तक, 28 फरवरी , 2025 तक , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पंजाब में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 51 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है,

जिनमें से 3 परियोजनाएं अमृतसर जिले में स्थित हैं। इन 51 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं से 29,000 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने और लगभग 2.58 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है। पंजाब में पीएमएफएमई योजना के तहत 28 फरवरी, 2025 तक कुल 2,606 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है, जिनमें से 30 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम अमृतसर जिले में स्थित हैं । इन 2,606 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों से 7,818 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चालू है । अब तक पंजाब में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत 28 फरवरी, 2025 तक सहायता के लिए 9 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिससे 2,446 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा का अनुमान है ।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केन्द्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, मूल्य संवर्धन आदि शामिल हैं, ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और रोजगार के बड़ी संख्या में अवसर पैदा हो सकें, कृषि उपज की बर्बादी कम हो, उत्पादकता बढ़े, प्रसंस्करण स्तर बढ़े, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और समावेशी विकास में योगदान मिले।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। परंतु, यह उद्यमियों को अनुदान/सब्सिडी के माध्यम से इन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। सहायता के लिए परियोजनाओं का चयन समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाएं प्रशिक्षण, विपणन और ब्रांडिंग के लिए भी सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य उत्पादों के निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने घरेलू उद्योग को प्रदर्शित करने और इसे अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोगात्मक अवसर प्रदान करने के लिए 19 से 22 सितंबर 2024 के दौरान भारत मंडपम , नई दिल्ली में "वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई)" नामक एक मेगा इवेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। यह आयोजन वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, इनोवेटर्स, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगी मंच पर लाया और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ गठजोड़/व्यावसायिक अवसर प्रदान किया। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के अवसरों और प्रगति को उजागर करने के लिए डब्ल्यूएफआई, 2025 का भी आयोजन कर रहा है।

*****

अनुबंध

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "अमृतसर को विशेष अनुदान" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5294 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन

क्र. सं.	घटक योजना	सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)	दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50%की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा स्टैंडएलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा स्टैंडएलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता।	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 70% की दर से अनुदान सहायता।
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान- अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत के 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान।

पीएलआईएसएफपीआई योजना के तहत उपलब्ध सहायता

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है , तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और विपणन पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये , जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i). *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii). *बीज पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से बीज पूंजी दी जाएगी , जो कि स्वयं सहायता समूहों के संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक होगी।

(iii). *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv). *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v). *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****